आपराधिक प्र.क.: 925 / 2014

## न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 925 / 2014</u> संस्थित दि: 10 / 10 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

## विरुद

बालिसंह पन्द्रे पिता स्व. जेलिसंह पन्द्रे, उम्र 23 साल, जाति बैगा, निवासी हीरापुर थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)

- — — — — — — आरोपी

## -<u>ः उर्पापण - आदेश ः:</u>-

## (आज दिनांक 17/10/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी मालतीबाई ने दिनांक 27.08.2014 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.08.2014 को रात के 07:00 बजे वह अपने घर में अकेली लेटी थी उसका रिश्ते का जीजा बाउसी समय कासनबाई ने दिनांक 06.05.2003 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में देहाती नालसी लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 04.05.2003 को उसका ससुर गोसाई 9 महीने धरम और सूरज गोंड की बकरी चुराई थी उसके पैसे लेने गया था। वह घर नहीं आया गावं में पता चला कि वह जंगल में मरा हुआ पड़ा है। देहाती नालसी की जांच के आधार पर आरक्षी बालसिंह उसे अकेला देखकर घर में घुसा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो वह चिल्लाई की क्या कर रहे हो तो उसके मुंह पर कपड़ा रखकर दबाने लगा उसकी मां के आने पर आरोपी भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 68/14 अन्तर्गत धारा 354क, 456 भा.दं.वि. एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध कर आरोपी को

गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354क, 354 एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षध अधिनियम 2012 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354(क), 354 एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 29.10. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट